

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रेम बनाम बीरम सिंह


दावा बाबत :- 53, 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपटित

राजस्व मुकदमा नम्बर - 71/2023

पेश करने की दिनांक - 08.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 2595, 2596, 2597/1, 2599, 3455/2598/2, 2574/1, 2575/1 रकबा क्रमशः 0.25, 0.03, 0.3224, 0.15, 0.3836, 0.1515, 0.1675 का खातेदार प्रेम देवी पत्नी मांगू सिंह को खसरा नम्बर 2574/2 रकबा 0.2425, 2575/2 रकबा 0.2425 का खातेदार बीरम सिंह पुत्र हजारी सिंह को हाल खसरा नम्बर 3456/2598 रकबा 0.01, 3455/2598/1 रकबा 0.0864, 2597/2 रकबा 0.0276 व 2574/3 रकबा 0.0060 का खातेदार प्रेम देवी 3/4 बीरम सिंह 1/4 हि. को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद